

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12 / 155 / 2022
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022 / 469
प्रवेश तिथि :: 28.10.2022

अपीलार्थी
श्री जगमालसिंह यादव,
एडवोकेट
न्यायालय परिसर, न्यू कोर्ट कैम्पस, बहरोड,
जिला-अलवर (राज.)-301701

बनाम

प्रत्यर्थी
सक्षम प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं
उपखण्ड अधिकारी, नीमराना (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 14.11.2022

1. अपीलार्थी उपस्थित। प्रत्यर्थी अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन-पत्र दिनांक: 25.07.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर ग्राम-काठुवास, तहसील-नीमराना अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-11 के विस्तारीकरण हेतु अवाप्त भूमि, काश्तकारों व हितधारकों को किए गए किए गए मुआवजा राशि भुगतान के संबंध में विविध 23 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांक: 29.09.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही आदिनांक तक किसी प्रकार का जवाब नोटिस ही प्राप्त हुआ।
7. अतः उक्त आलोक में अपील स्वीकार की जाकर निस्तारित जाती है, साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक: 25.07.2022 में वांछित बिन्दुवार, सटीक सूचना, अभिलेखानुसार उक्त निर्णयादेश प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में नियमानुसार अधिप्रमाणित व पूर्ण हस्ताक्षरित कर पंजीकृत-पत्र के जरिये अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में जवाब समय पर नहीं भिजवाया जाना अधिनियम की भावना, उद्देश्यों के प्रतिकूल है। अतः भविष्य में इस न्यायालय द्वारा अपील अन्तर्गत जारी नोटिस पर जवाब अतिविरत भिजवाने की व्यवस्था की जावे।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. आज दिनांक: 14.11.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)
जिला कलक्टर, अलवर